**राजस्थान सरकार**
**परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग**

क्रमांकः एफ 7(38)परि/नियम/मु./2024 / 13211 जयपुर, दिनांक– 28.08.2024

## कार्यालय आदेश 12 /2024

विषय– अधिकृत स्क्रेप सेन्टर पर स्क्रेप किये गये वाहन के पंजीयन क्रमांक को नये क्रय किये गये वाहन पर रिटेन किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 की घोषणा संख्या 160 में वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर रिटेन्शन की सुविधा को वाहन स्क्रेप करवाये जाने पर प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है।

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 के प्रावधानों के अनुसार वाहन स्वामी अपने पूर्व के पंजीकृत वाहन के पंजीयन क्रमांक को नये क्रय किये गये वाहन पर रिटेन कर सकता है। बजट घोषणा के अनुसार यदि आवेदक द्वारा अपने पुराने पंजीकृत वाहन को अधिकृत स्क्रेप सेन्टर पर स्क्रेप करवाया जाता है तो उस वाहन के पंजीयन क्रमांक को उसके द्वारा क्रय किये गये नये वाहन पर आवंटित करवाया जा सकेगा।

उक्त सेवा प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगीः–

1. वाहन स्वामी द्वारा वाहन को अधिकृत स्क्रेप सेन्टर को देकर पोर्टल vscrap.parivahan.gov.in पर निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट (Certificate of Deposit) जारी करवाया जायेगा। इसके उपरान्त स्क्रेप सेन्टर द्वारा वाहन को स्क्रेप कर vscrap पोर्टल पर सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रेपिंग (Certificate of Vehicle Scrapping) जारी किया जायेगा। वाहन स्वामी उक्त सर्टिफिकेट को vscrap पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा।
2. सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रेपिंग (Certificate of Vehicle Scrapping) जारी होने के पश्चात स्क्रेप किये गये वाहन के पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर आवंटित करवाने हेतु वाहन स्वामी द्वारा संबंधित पंजीयन अधिकारी (जिसके कार्यालय में स्क्रेप किया गया वाहन का पंजीयन, स्वामित्व हस्तांतरण या पता परिवर्तन हुआ है) को संलग्न प्रारूप में पंजीयन क्रमांक रिटेन्शन की निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जायेगा। आवेदन के समय वाहन पोर्टल पर इनवार्ड के पश्चात यूनीक एप्लीकेशन क्रमांक जारी किया जायेगा। उक्त आवदेन को स्वीकृत करने के समय संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का स्क्रेप हुये वाहन के पंजीयन रिकॉर्ड से वाहन स्वामी के नाम, पिता/पति का नाम तथा पते का मिलान कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त आवेदन स्क्रेप हुये वाहन के स्वामी द्वारा ही किया गया है।
3. इसके उपरान्त पंजीयन अधिकारी द्वारा स्क्रेप हुये वाहन के पंजीयन क्रमांक को नये क्रय किए जाने वाले वाहन पर लेने हेतु पोर्टल पर अनुमत किया जाएगा। इसकी सूचना वाहन स्वामी को SMS/ Citizen Portal के माध्यम से प्राप्त होगी। नये वाहन पर पंजीयन क्रमांक आवंटित करवाने हेतु फीस के भुगतान की रसीद जारी दिनांक से तीन माह के लिए वैध होगी।
4. इस अवधि में आवेदक द्वारा स्क्रेप किये गये वाहन के पंजीयन क्रमांक को नये क्रय किये गये वाहन पर आवंटित करवाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगीः–

RajKaj Ref No.: 9812297

i. **ऐसे वाहन जिनका क्रय एवं पंजीयन राज्य में स्थापित अधिकृत वाहन डीलर द्वारा किया जाना है–**

नये क्रय किये गये वाहन के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ नम्बर रिटेंशन की फीस की रसीद वाहन डीलर को प्रस्तुत की जाएगी। इसके उपरान्त वाहन डीलर द्वारा वाहन पोर्टल पर रिटेन्शन पंजीयन विकल्प का चयन किया जाकर नये वाहन के पंजीयन का इनवार्ड कर निर्धारित पंजीयन फीस एवं टैक्स का भुगतान करवाया जाएगा। इनवार्ड के समय वाहन डीलर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्रेप किए गए वाहन का स्वामी एवं नये क्रय किए गए वाहन का स्वामी एक ही व्यक्ति है। इस हेतु आवेदक से वांछित दस्तावेज लिये जाकर पंजीयन के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके उपरान्त वाहन डीलर द्वारा पंजीयन की शेष प्रक्रिया सामान्य पंजीयन की भांति पूर्ण कर पंजीयन क्रमांक आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

ii. **ऐसे वाहन जिनका नियमानुसार अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनका पंजीयन संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाना है–**

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ नम्बर रिटेंशन की फीस की रसीद संबंधित पंजीयन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी (जिसके द्वारा स्क्रेप हुये वाहन के पंजीयन क्रमांक को रिटेंशन हेतु अनुमत किया गया था) को प्रस्तुत की जाएगी। इसके उपरान्त कार्यालय में वाहन पोर्टल पर रिटेन्शन पंजीयन विकल्प का चयन किया जाकर नये वाहन के पंजीयन का इनवार्ड कर निर्धारित पंजीयन फीस एवं टैक्स का भुगतान करवाया जाएगा। इनवार्ड के समय कार्मिक/अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्रेप किए गए वाहन का स्वामी एवं नये क्रय किए गए वाहन का स्वामी एक ही व्यक्ति है। इस हेतु आवेदक से वांछित दस्तावेज लिये जाकर पंजीयन के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके उपरान्त जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीयन की शेष प्रक्रिया सामान्य पंजीयन की भांति पूर्ण कर पंजीयन क्रमांक आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. वर्ष 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करने वाले पुराने चार पहिया (गैर परिवहन) श्रेणी यानों के पंजीयन क्रमांक नये वाहन पर रिटेन करने हेतु कार्यालय आदेश 12/2021 दिनांक 26.08.2021 में दी गई प्रक्रिया उक्त आदेश में प्रदत्त प्रक्रिया के साथ अपनाई जाएगी।
6. स्क्रेप किये गये वाहन की history देखने के लिये स्क्रेप किये गये वाहन को वाहन पोर्टल द्वारा डमी पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जायेगा। उक्त डमी पंजीयन क्रमांक की सीरीज एवं उसको वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित करने के संबंध में पृथक से प्रावधान किए जाएंगे।

अतः अधिकृत स्क्रेप सेन्टर पर स्क्रेप किये गये वाहन के पंजीयन क्रमांक को वाहन स्वामी द्वारा नये वाहन पर रिटेन करने हेतु वाहन स्वामी, जिला परिवहन अधिकारी एवं अधिकृत वाहन डीलर द्वारा उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

Document certified by MANISHA ARORA <[illegible]gmail.com>.
Digitally Signed by Manisha Arora
Designation :Commissioner
Date :28-08-2024 06:24:31

RajKaj Ref No.: 9812297

क्रमांकः एफ 7(38)परि/नियम/मु./2024 /13212-13221 जयपुर, दिनांक- 28.08.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को पॉर्टल पर वांछित प्रावधान किये जाने हेतु।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एशोसियशन।
9. समस्त अधिकृत वाहन स्क्रेप सेन्टर ।
10. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Signature valid

Digitally signed by Kusum Rathore
Designation: Additional Commissioner
Date: 2024.08.28 18:43:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10005790

**अधिकृत स्क्रेप सेन्टर पर स्क्रेप हुये वाहन के पंजीयन क्रमांक को नये क्रय किये गये वाहन पर आवंटित करने हेतु अनुमत किये जाने का आवेदन**

पंजीयन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी

..............................

विषयः— स्क्रेप किए गये वाहन संख्या .............................. के पंजीयन नये वाहन पर आवंटित करवाने हेतु अनुमत करने बाबत्।

वाहन संख्या .......................................... का मैं पंजीकृत वाहन स्वामी हूं एवं उक्त वाहन को मेरे द्वारा अधिकृत स्क्रेप सेंटर पर स्क्रेप करवाया गया है। उक्त वाहन के पंजीयन क्रमांक को मैं अपने नये क्रय किये जाने वाले वाहन पर आवंटित करवाना चाहता हूं। अतः उक्त पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर आवंटित करवाने हेतु अनुमत करने का श्रम करावें।

संलग्नः—

1. सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रेपिंग
2. पहचान एव पते का प्रमाण

हस्ताक्षर आवेदक

नामः—

पिता / पति का नामः—

पताः—

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (38)परि/नियम/मु./2007/III/15212 जयपुर, दिनांक 26/08/2021

## कार्यालय आदेश ...12..../2021

विभाग द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् वाहन स्वामी को पूर्व में आवंटित पंजीयन अनुक्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने के संबंध में आदेश 31.03.2003 जारी किया गया था। आदेश के बिन्दु सं. 2 में आवेदक के पूर्व वाहन पर आंवटित रजिस्ट्रेशन क्रमांक को उसके नये वाहन पर आंवटित करने की प्रक्रिया विहित की गयी है। इसी बिन्दु के उप बिन्दु (3) में यह भी स्पष्ट कहा गया है 'जिस वाहन पर पुराना नंबर रिटेन किया जा रहा है, वो वाहन उस श्रेणी का हो, जिस श्रेणी में वाहन का पुराना नंबर था।' इस क्रम में वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत चारपहिया (गैर–परिवहन) श्रेणी, बैठक क्षमता के अनुसार वर्गीकृत न होने के कारण इस प्रकार के वाहनों के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने के संबंध में दिनांक 04.06.2015 को कार्यालय आदेश 17/2015 जारी किया गया था। वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों में उक्त कार्यालय आदेश 17/2015 दिनांक 04.06.2015 को अधिक्रमित करते हुए वर्ष 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करने वाले पुराने चार पहिया (गैर परिवहन) वाहनों के पंजीयन क्रमांक नये वाहन पर रिटेन करने हेतु निम्न आदेश जारी किये जाते है:–

"ऐसे पुराने चार पहिया (गैर–परिवहन) वाहन जो वर्ष 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करते है, के पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने की स्थिति में रिटेन्शन आवेदन पर आवेदक द्वारा 5 बैठक क्षमता तक अथवा 5 बैठक क्षमता से अधिक के चार पहिया (गैर–परिवहन) यान दोनों में से किसी एक श्रेणी के वाहन पर स्वेच्छानुसार रिटेन किया जा सकता है। रिटेन्शन के प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

1. सर्वप्रथम 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करने वाले पुराने चार पहिया (गैर परिवहन) यान के पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन किया जायेगा।
2. इस रिटेन्शन के पश्चात् पंजीयन क्रमांक रहित हुये पुराने चार पहिया (गैर परिवहन) यान पर वाहन की श्रेणी (बैठक क्षमता पांच तक या 5 बैठक क्षमता से अधिक) के अनुसार संबंधित श्रेणी की रनिंग सीरीज से नया नम्बर आंवटित किया जायेगा।"

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 1989 से पूर्व आवंटित सीरीज के पंजीयन क्रमांक धारण करने वाले पुराने चार पहिया (गैर–परिवहन) श्रेणी यानों के पंजीयन क्रमांक नये वाहन पर रिटेन करने हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक :– प.7 (38)परि/नियम/मु./2007/III/15213-20 जयपुर, दिनांक 26/08/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन हेतु।
7. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव